

प्रेषक,
राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक 31 मार्च, 2020

विषय:-लॉक डाउन के दौरान प्रदेश में निजी चिकित्सालयों को खोलने के संबंध में।

महोदय,


उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-746/पांच-5/2020, दिनांक 30.03.2020 (प्रति संलग्न) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से लॉक डाउन के दौरान प्रदेश के निजी चिकित्सालयों के संबंध में कतिपय निर्देश दिये गये हैं।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के उपरिसन्दर्भित पत्र में अपेक्षित कार्यवाही के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें:-

- (1) सभी निजी चिकित्सालयों को न्यूनतम स्टाफ के साथ प्रशासन द्वारा निर्धारित घण्टों के लिए खोले जाएंगे।
- (2) निजी चिकित्सालयों के चिकित्सकों द्वारा Home visit कर भी मरीजों को देखा जाएगा।
- (3) मरीजों को टेलीफोन के माध्यम से भी परामर्श दिया जा सकता है।
- (4) प्रशासन द्वारा निजी चिकित्सालयों में कार्यरत डाक्टर, नर्स एवं सहयोगी स्टाफ को आवश्यकतानुसार वाहन पास निर्गत किये जायें।
- (5) सामान्य मरीजों (Routine cases)के लिए ओपीडी नहीं होगी परन्तु इमरजेन्सी केसेज देखे जाएंगे। निजी चिकित्सक/चिकित्सालय के फोन नम्बर भी जन सामान्य के लिए उपलब्ध कराये जाएं।

3- कृपया उक्त के अनुसार तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।



(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव।

संख्या- 759(1)/पांच-5-2020, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उ०प्र० शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।

आज्ञा से,


(अमित मोहन प्रसाद)

प्रमुख सचिव।

20/3/20
31.3.2020

ऑफिस
जारी न. तिथि
30/03/2020
प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक 30 मार्च, 2020

विषय:-लॉक डाउन के दौरान प्रदेश में निजी चिकित्सालयों को खोलने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के समय में आप के द्वारा सहायनीय कार्य किया जा रहा है। इस विपरीत समय में समाज के हर वर्ग की जिम्मेदारी है कि वह अपेक्षित सहयोग करे।

जनपदों से यह शिकायत प्राप्त हो रही है कि कुछ निजी चिकित्सालयों द्वारा अपने चिकित्सालय या तो इस समय बन्द कर दिये गये हैं या उनके द्वारा अधिकांश मरीजों को देखा ही नहीं जा रहा है। कृपया इस संदर्भ में निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित करें :-

- (1) लॉक डाउन के दौरान निजी चिकित्सालयों को खोलने की व्यवस्था की जाए। चिकित्सालय के प्रबन्धकों को निर्देशित किया जाए कि वे चिकित्सा एवं उपचार हेतु प्रयोग में आने वाले उपकरण को क्रियाशील रखें, चिकित्सकों/पैरामेडिकल स्टाफ की एक निश्चित अवधि के लिए उपस्थिति सुनिश्चित करें तथा दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता बनाये रखें।
 - (2) निजी चिकित्सालयों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उन्हें अवगत कराया जाय कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भी मरीजों को देखा जा सकता है।
 - (3) चिकित्सालयों में समुचित चिकित्सा सेवा सुनिश्चित करने हेतु IMA (Indian Medical Association) का सहयोग भी प्राप्त किया जाए।
 - (4) यदि कोई चिकित्सालय वार्ता के बाद भी उपरोक्त निर्देशों का पालन नहीं करता है तो समुचित प्रावधानों के अन्तर्गत उनके विरुद्ध कार्यवाही भी की जाय।
- 2- कृपया उक्त के अनुसार तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
30-3-20
(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव।

संख्या- 746 (1)/पांच-5-2020, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उ०प्र० शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।

आज्ञा से,
30-3-20
(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव।

30/03/2020